



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276827
CG-DL-E-06102026-276827

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5137]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 5137]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

का.आ. 5344(अ).— केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में 'ग' क्षेत्र में स्थित गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद द्वारा अधिसूचित करती है:-

(1) गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद,

[फा. सं. ई-11011/1/2026-हिंदी]

डॉ. विजय कुमार बेहेरा, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी

JAL SHAKTI MINISTRY**(Department Of Water Resources, River Development And Ganga Rejuvenation)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2026

S.O. 5344(E).— In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rule. 1976 (as amended in 1987), situated in 'C' region the Central Government hereby notifies the GODAVARI RIVER MANAGEMENT BOARD, HYDERABAD, wherein more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

(1) GODAVARI RIVER MANAGEMENT BOARD, HYDERABAD

[F. No. E.11011/1/2026 - Hindi]

DR. BIJAYA KUMAR BEHERA, Economic Adviser And Official Language Incharge